पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दिनेश चौधरी

बनाम

बिहार राज्य

2024 का आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 11468

21 फरवरी, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या आबकारी मामले के संबंध में याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 437 और 439—नियमित जमानत—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022—धारा 37—याचिकाकर्ता को धारा 37, अधिनियम, 2022 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था- याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्ति नशे की हालत में पाए गए थे—याचिकाकर्ता को धारा 37 के अनुसार एक महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

निर्णीत: सीआरपीसी की अनुसूची- II के तहत एक महीने की कैद जमानती है —सुनवाई के समय, याचिकाकर्ता हिरासत में था, जो अधिनियम, 2022 की धारा 37 के तहत सजा की अवधि से एक महीने से अधिक है—ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर पढ़ने में गंभीर रूप से गलती की है और एफआईआर को पढ़े बिना ही, अधिनियम, 2016 के अनुसार एक आदेश पारित किया है और याचिकाकर्ता

की जमानत खारिज कर दी है—ट्रायल कोर्ट / संबंधित अदालत ने कारण बताओ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया—याचिकाकर्ता को तुरंत जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

(पैराग्राफ 7, 8, 9 और 11)

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत; एक माह का कारावास; बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 37

प्रकरण से उत्पन्न

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 37 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत किशनपुर पीएस कांड संख्या 261/2023 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री राजेंद्र नाथ झा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक विविध संख्या- 11468

थाना किशुनपुर, जिला-सुपौल, थाना कांड संख्या- 261/2023 से उत्पन्न

==========

दिनेश चौधरी, पुरुष, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता - स्वर्गीय योगेंद्र चौधरी, निवासी, ग्राम- हुलास, पोस्ट- हुलास, थाना.-राघोपुर, जिला-सुपौल

.. ...याचिकाकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

... ...विपरीत पक्ष

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिएः श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिये: श्री राजेंद्र नाथ झा, एपीपी

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक आदेश

2 21-02-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये ए.पी.पी. को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 37 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज, थाना किशुनपुर, जिला-सुपौल, थाना कांड संख्या-261/2023 में जमानत मांगी है।

3. अभियोजन वाद के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य लोग नशे की हालत में पाए गए।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और याचिकाकर्ता के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता नशे की हालत में पाया गया था और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 37 के अनुसार, याचिकाकर्ता को एक से अधिक महीना के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।

5. राज्य के लिये विद्वान ए.पी.पी ने याचिकाकर्ता की नियमित जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए) से संबंधित कई पूर्ववृत्तियां हैं। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि धारा 37 के तहत अपराध बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 के तहत एक जमानती अपराध है।

6. प्राथमिकी. और विवादित आदेश के अवलोकन पर, याचिकाकर्ता को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 37 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि -

"शराब पीने पर जुर्माना -

> जो कोई भी इस अधिनियम या नियमों, अधिसूचना या आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी भी स्थान पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन करता है या किसी भी परिसर के भीतर या बाहर नशे में पाया जाता है या किसी भी मादक पदार्थ के प्रभाव में पाया जाता है, उसे तुरंत

गिरफ्तार किया जाएगा और निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हालाँकि उसे रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जुर्माना देता है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इस तरह के जुर्माने का भुगतान करने में विफलता के लिए एक महीने का साधारण कारावास होगा। उसके कब्जे में पाया गया कोई भी मादक पदार्थ जब्त कर लिया जाएगा और धारा-57 के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि बार-बार उल्लंघन करने वालों के मामले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त जुर्माना या कारावास या दोनों निर्धारित कर सकती है।

इस धारा के तहत सभी अपराधों का निपटान एक कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा संक्षिप्त परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जो इस धारा के उद्देश्य के लिए न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की शक्तियों का प्रयोग करेगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसे कार्यकारी दंडाधिकारी की नियुक्ति करेगी।

इस धारा के अधीन वादो की जांच एक आबकारी अधिकारी या सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

इस धारा के अधीन अपराध करने का आरोपी कोई भी व्यक्ति किसी अन्य अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी करता है, और फिर उसे उस अधिनियम के तहत उल्लिखित परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा।

7. इस धारा के अनुसार, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। एक महीने का कारावास द०प्र०स० की अनुसूची ॥ के तहत जमानती है, जो इस प्रकार है-

अन्य विधिओ के अधीन अपराधो का वर्गीकरण

अपराध	**संज्ञेय या असंज्ञेय**	**जमानती या गैर जमानती**	**किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है**
अगर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात साल के कारावास से दंडनीय है	संज्ञेय	गैर जमानती	सत्र न्यायालय
अगर तीन साल या उससे अधिक, मगर सात साल से अधिक नही से दंडनीय है	संज्ञेय	गैर जमानती	प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी
अगर तीन साल या उससे कम, या जुर्माने या दोनो से दंडनीय है	असंज्ञेय	जमानती	कोई दंडाधिकारी

याचिकाकर्ता को 8.12.2023 को गिरफ्तार किया गया था और वाद की सुनवाई विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा 16.01.2024 को की गई थी। वाद की सुनवाई के समय आरोपी हिरासत में था जो बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 37 के तहत सजा की अवधि से एक महीने से अधिक है।

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि द०प्र०स० की धारा 436 के अनुसार यहाँ कहा गया है -

"436. किन मामलों में जमानत ली जानी चाहिए।

(1) जब गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, या न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या लाया जाता है, और ऐसे अधिकारी की हिरासत में रहते हुए या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में जमानत देने के लिए तैयार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगाः

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी या न्यायालय, यदि वह उचित समझे, [यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन

है और जमानत देने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय, उसे बिना जमानत के बांड निष्पादित करने पर उसे उन्मुक्त कर देगा, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है: आगे यह भी प्रावधान है कि इस धारा की कोई भी बात धारा 116 की उपधारा (3) के प्रावधानों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी,

स्पष्टीकरण-जहाँ कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के एक सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, वहाँ अधिकारी या न्यायालय के लिए यह मान लेना पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए वह एक गरीब व्यक्ति है।

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात धारा 116 की उप-धारा (3) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करती है।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उपस्थिति के समय और स्थान के संबंध में जमानत बांड की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, न्यायालय उसे जमानत पर रिहा करने से

इनकार कर सकता है, जब उसी मामले में बाद के अवसर पर वह न्यायालय के समक्ष पेश होता है या हिरासत में लाया जाता है, जमानत पर रिहा करने से इंकार कर सक्ता है और एसी किसी भी इंकारी का, एसे जमानतपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसके शास्ति देने से अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पडेगा।

9. विचारण न्यायालय ने प्राथमिकी को पढ़ने में गंभीर गलती की है और उसे पुरी तरह पढ़े बिना **बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2016** के अनुसार, आदेश पारित कर दिया है और याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस आदेश द्वारा विशेष विशेष उत्पाद शुल्क न्यायालय-I, सुपौल को एक कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं करने और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2016 के आधार पर आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करने के लिए उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए, भले ही बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 द्वारा धारा 37 में पहले ही संशोधन किया जा चुका हो।

10. विद्वत विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से दिये गए तथ्यों और परिस्थितियों और प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता को किशनपुर थाना कांड संख्या-261/2023 के संबंध में, विद्वान विशेष उत्पाद शुल्क न्यायालय-सुपौल की संतुष्टि के लिए, तुरंत 2000/- (दो हजार रुपये) की जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

12. इस आदेश की एक प्रति विद्वान विशेष उत्पाद शुल्क न्यायालय-।, सुपौल/संबंधित न्यायालय को फैक्स या ई-मेल के माध्यम से तुरंत प्रेषित की जाए।

13. प्रत्येक वाद में जो द०प्र०स० की उक्त धारा 436 के दायरे में आता है, चाहे वह उत्पाद शुल्क का वाद हो या कोई अन्य वाद,। परंतु गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान प्रथा को देखते हुए, यह ऊपर बताए गए वैधानिक प्रावधान का घोर उल्लंघन है। यह भी देखा गया है कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम, 2022 का उल्लंघन न्यायिक अधिकारियों और गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों द्वारा भी अक्सर किया जा रहा है, जो संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वैधानिक कानून का घोर उल्लंघन है। इसलिए पुलिस महानिदेशक, पटना, बिहार को सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने के साथ-साथ बिहार के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को भी संबंधित अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने और द०प्र०स० और बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन

अधिनियम, 2022 में निर्धारित प्रक्रिया को लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

14. निबंधन को, पुलिस महानिदेशक पटना और सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों और बिहार के आबकारी आयुक्त, को यह आदेश प्रसारित करने का निर्देश दिया जाता है ।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।